

Original Article

ई-ग्राहक-पहचान, आधार-बैंक संयोजन और भूमि-अभिलेख असंगति के कारण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाभ-निरंतरता में बाधाएँ: छोटे एवं सीमांत किसानों पर प्रभाव का अध्ययन

सौरभ चौधरी¹, अलोक कुमार²

¹शोध छात्र, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

²प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Manuscript ID: सारांश

JRD -2026-180618

ISSN: 2230-9578

Volume 18

Issue 6(A)

Pp 79-82

June - 2026

Submitted: 10 May 2026

Revised: 20 May 2026

Accepted: 10 June 2026

Published: 30 June 2026

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे एवं सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय-सहायता प्रदान करने वाली भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000 की राशि तीन किश्तों में दी जाती है। यद्यपि योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि एवं पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए नियमित आर्थिक सहायता देना है, परंतु हाल के वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक ग्राहक-पहचान, आधार प्रमाणीकरण, बैंक खाते का आधार से संयोजन तथा भूमि-अभिलेख असंगति जैसी प्रशासनिक और तकनीकी बाधाएँ लाभ-निरंतरता को प्रभावित कर रही हैं। छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए 2000 की प्रत्येक किश्त कृषि मौसम में बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और मजदूरी जैसे खर्चों में सहायक होती है। यदि यह किश्त समय पर प्राप्त नहीं होती, तो किसान उधार, साहूकार, दुकानदार ऋण, पंचायत सहायता या कृषि-व्यय कटौती जैसे उपाय अपनाने को विवश हो जाता है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य इन बाधाओं की प्रकृति, मौसमी कृषि-निवेश पर उनके प्रभाव तथा प्रभावित किसानों द्वारा अपनाए गए समायोजन उपायों का विश्लेषण करना है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि लाभ-रूकावट केवल प्रशासनिक समस्या नहीं है, बल्कि यह कृषि निर्णय, ऋण-निर्भरता, उत्पादन जोखिम और किसान की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न है। अतः योजना की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए ग्राम स्तर पर पूर्व-सत्यापन, सरल शिकायत-निवारण, भूमि-अभिलेख सुधार और बैंक-संयोजन सहायता को मजबूत करना आवश्यक है।

मुख्य शब्द: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, छोटे एवं सीमांत किसान, इलेक्ट्रॉनिक ग्राहक-पहचान, आधार-बैंक संयोजन, भूमि-अभिलेख असंगति, लाभ-निरंतरता, कृषि-निवेश, किसान समायोजन उपाय।

परिचय

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की एक केंद्रीय किसान-आय सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य कृषियोग्य भूमि रखने वाले किसान परिवारों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6000 की सहायता तीन समान किश्तों में आधार-संबद्ध बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से दी जाती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने अगस्त 2025 में स्पष्ट किया कि योजना में कृषियोग्य भूमि-स्वामित्व प्राथमिक पात्रता शर्त है और राशि आधार-संबद्ध बैंक खातों में भेजी जाती है। वर्तमान समय में यह योजना केवल नकद सहायता कार्यक्रम नहीं रह गई है, बल्कि किसान पहचान, आधार प्रमाणीकरण, बैंक खाते का आधार से संयोजन, भूमि-अभिलेख सत्यापन और राज्य स्तर पर पात्रता जाँच से जुड़ी हुई एक व्यापक प्रशासनिक व्यवस्था बन गई है। जून 2026 में जारी तेईसवीं किश्त के अंतर्गत 9.44 करोड़ किसानों को लगभग 18,880 करोड़ की राशि भेजी गई तथा योजना की शुरुआत से अब तक कुल 4.46 लाख करोड़ से अधिक राशि वितरित की जा चुकी है। योजना की व्यापक पहुँच के साथ-साथ लाभ-निरंतरता की समस्या भी सामने आई है। कई किसान प्रारंभिक रूप से पात्र होने के बावजूद अगली किश्त प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक ग्राहक-पहचान अधूरी रहती है, आधार प्रमाणीकरण में नाम या जन्मतिथि संबंधी त्रुटि मिलती है, बैंक खाता आधार से सही रूप में संबद्ध नहीं होता, या भूमि-अभिलेख में नाम, खसरा, उत्तराधिकार, बँटवारा अथवा स्वामित्व की स्थिति पोर्टल पर उपलब्ध विवरण से मेल नहीं खाती। मंत्रालय के अनुसार भूमि-संयोजन, आधार-आधारित भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक ग्राहक-पहचान को अनिवार्य किया गया है; किसी आँकड़ा-असंगति की स्थिति में अभिलेख राज्य या केंद्रशासित प्रदेश को सुधार के लिए वापस भेजा जाता है और सुधार के बाद आगामी किश्त में राशि जारी की जाती है। छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए यह समस्या विशेष रूप से गंभीर है। इनके पास सीमित बचत, कम ऋण-पहुँच और मौसमी कृषि-निवेश पर अधिक निर्भरता होती है। बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, मजदूरी और डीजल जैसे खर्च बुवाई और रोपाई के समय केंद्रित होते हैं। यदि उस अवधि में 2000 की किश्त रुक जाती है या देर से आती है, तो राशि देखने में छोटी होने पर भी उसके प्रभाव बड़े हो सकते हैं। किसान बीज की गुणवत्ता घटा सकता है, उधार ले सकता है, साहूकार पर निर्भर हो सकता है, खाद की मात्रा कम कर सकता है या सिंचाई टाल सकता है। अतः यह अध्ययन केवल योजना के "लाभ मिला या नहीं" प्रश्न तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देखता है कि लाभ की निरंतरता टूटने से कृषि निर्णयों और किसान व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)

This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations are licensed under the identical terms.

Address for correspondence:

सौरभ चौधरी शोध छात्र, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

How to cite this article:

चौधरी, सौरभ. & अलोक कुमार. (2026). ई-ग्राहक-पहचान, आधार-बैंक संयोजन और भूमि-अभिलेख असंगति के कारण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाभ-निरंतरता में बाधाएँ: छोटे एवं सीमांत किसानों पर प्रभाव का अध्ययन. *Journal of Research & Development*, 18(6(A)), 79-82. <https://doi.org/10.5281/zenodo.21503277>



Quick Response Code:



Website:

<https://jrdrvb.org/>

DOI:

10.5281/zenodo.21503277



संबंधित साहित्य की समीक्षा

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर अब तक हुए अधिकांश अध्ययनों में आय-सहायता, निधि-उपयोग, लाभार्थी जागरूकता, सामाजिक-आर्थिक प्रभाव और कृषि-निवेश की भूमिका पर ध्यान दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जुड़े अध्ययन ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पाया कि योजना की पहली किश्त कृषि-व्यय के चरम समय के आसपास आई थी और जिन किसानों को पहली किश्त मिली, उनमें से 52 प्रतिशत ने राशि कृषि कार्यों पर खर्च की। दूसरी किश्त, जो अपेक्षाकृत गैर-चरम कृषि अवधि में आई, उसमें कृषि पर खर्च का अनुपात कम रहा। इससे स्पष्ट होता है कि राशि का समय किसान के खर्च निर्णय को प्रभावित करता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उद्धृत उत्तर प्रदेश अध्ययन में यह पाया गया कि लाभार्थी किसानों का कृषि-व्यय मुख्यतः जुताई, खाद और बीज पर केंद्रित था; लाभार्थी खेतों में धान की उपज 3.08 प्रतिशत तथा गेहूँ की उपज 1.93 प्रतिशत अधिक दर्ज की गई और लाभार्थी परिवारों की कृषि-आय गैर-लाभार्थियों की तुलना में 9.85 प्रतिशत अधिक रही। यह संकेत देता है कि समय पर मिलने वाली नकद सहायता कृषि निवेश और उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। पूर्व साहित्य से यह भी ज्ञात होता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी प्रत्यक्ष आय सहायता योजनाएँ तभी अधिक प्रभावी होती हैं जब भुगतान समय पर, कम लेन-देन लागत के साथ और कृषि सलाह जैसी पूरक सेवाओं के साथ पहुँचे। संबंधित अध्ययन में यह भी बताया गया कि बैंकिंग संरचना और किसान आँकड़ा-संग्रह ने योजना के प्रारंभिक विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर भी उपलब्ध साहित्य में एक महत्वपूर्ण रिक्ति दिखाई देती है। अधिकतर अध्ययन यह देखते हैं कि किसानों ने प्राप्त राशि का उपयोग कैसे किया; परंतु यह कम देखा गया है कि जिन किसानों की किश्त इलेक्ट्रॉनिक ग्राहक-पहचान, आधार-बैंक संयोजन या भूमि-अभिलेख त्रुटि के कारण रुकी, उनके कृषि निर्णयों पर क्या असर पड़ा। सरकारी सूचना के अनुसार आधार-संबद्ध भुगतान तेरहवीं किश्त से अनिवार्य किया गया और असफल लेन-देन के प्रमुख कारणों में आधार संख्या का भुगतान मानचित्र से हटना, बैंक खाते से आधार का न जुड़ना और खाता बंद होना शामिल हैं। अगस्त 2025 की एक समाचार रिपोर्ट में भी बताया गया कि सरकार ने बैंकों को असफल लेन-देन घटाने के लिए कहा, क्योंकि बिना संयोजित आधार, बंद खातों और अधूरी ग्राहक-पहचान के कारण भुगतान में देरी हो रही थी। भूमि-अभिलेख असंगति भी लाभ-निरंतरता का बड़ा कारण है। मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश में अंकीय फसल सर्वेक्षण और किसान-पंजीकरण अभियान से जुड़े समाचार में बताया गया कि राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लगभग 2.88 करोड़ लाभार्थी हैं, जिनमें 2.31 करोड़ से अधिक किसानों का सत्यापन हो चुका था। यह बताता है कि भूमि और किसान पहचान के अंकीय सत्यापन की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है, परंतु इसी प्रक्रिया में ऐसे किसान भी प्रभावित हो सकते हैं जिनके अभिलेख अद्यतन नहीं हैं। जुलाई 2026 में महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों ने भी यह मुद्दा उठाया कि जिन किसानों के नाम भूमि अभिलेख में वर्ष 2019 के बाद आए हैं, वे वास्तविक खेती करने के बावजूद लाभ से वंचित हो सकते हैं। इस प्रकार साहित्य-समीक्षा से स्पष्ट है कि योजना का सकारात्मक प्रभाव तभी स्थायी हो सकता है जब लाभ-निरंतरता बनी रहे। इसलिए यह अध्ययन "प्राप्त लाभ" की जगह "रुके हुए लाभ" को केंद्र में रखता है।

अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाभार्थियों में इलेक्ट्रॉनिक ग्राहक-पहचान, आधार प्रमाणीकरण, बैंक खाते के आधार-संयोजन और भूमि-अभिलेख असंगति के कारण किश्त रुकने या देरी की प्रकृति का अध्ययन करना।
2. लाभ में देरी या रुकावट का बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई जैसे मौसमी कृषि-निवेश निर्णयों पर प्रभाव मापना।
3. प्रभावित किसानों द्वारा अपनाए गए समायोजन उपायों, जैसे उधार, साहूकार, सामान्य सेवा केंद्र या पंचायत सहायता, तथा फसल-खर्च कटौती का विश्लेषण करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ

1. इलेक्ट्रॉनिक ग्राहक-पहचान, आधार प्रमाणीकरण, बैंक संयोजन और भूमि-अभिलेख असंगति के कारण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किश्तों में रुकावट या देरी छोटे एवं सीमांत किसानों में अधिक पाई जाती है।
2. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किश्त समय पर न मिलने से छोटे एवं सीमांत किसानों के बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई संबंधी मौसमी कृषि-निवेश निर्णय नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं।
3. जिन किसानों की किश्त रुकती या देर से आती है, वे कृषि-व्यय पूरा करने के लिए उधार, साहूकार, दुकानदार ऋण, सामान्य सेवा केंद्र, पंचायत सहायता या फसल-खर्च कटौती जैसे समायोजन उपाय अपनाते हैं।

अध्ययन पद्धति

यह शोध वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। अध्ययन के लिए द्वितीयक स्रोतों में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पत्र सूचना कार्यालय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल, पूर्व प्रकाशित अध्ययन और हालिया समाचार स्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक अध्ययन के लिए उपयुक्त नमूना-रचना भी प्रस्तावित की गई है, ताकि भविष्य में क्षेत्रीय स्तर पर इसे अनुभवजन्य रूप से लागू किया जा सके। मुख्य चरों में किसान की भूमि-धारिता, फसल प्रकार, किश्त प्राप्ति की तिथि, देरी की अवधि, त्रुटि का प्रकार, बीज-खर्च, खाद-खर्च, कीटनाशक-खर्च, सिंचाई-खर्च, उधार की राशि, ब्याज दर, शिकायत-निवारण का माध्यम और सुधार में लगा समय शामिल है।

आँकड़ा विश्लेषण

नवीनतम राष्ट्रीय आँकड़ों से स्पष्ट है कि योजना का पैमाना अत्यंत बड़ा है।

सारणी 1: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित नवीनतम तथ्य और लाभ-निरंतरता पर उनका शोधगत महत्व

क्रम संख्या	सूचक	नवीनतम तथ्य	शोध में महत्व
1.	तेईसवीं किश्त की तिथि	तेईसवीं किश्त 20 जून 2026 को जारी की गई।	इससे अध्ययन को नवीनतम संदर्भ मिलता है और योजना की वर्तमान स्थिति स्पष्ट होती है।
2.	लाभार्थी किसानों की संख्या	तेईसवीं किश्त में 9.44 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ दिया गया।	योजना की व्यापकता स्पष्ट होती है; इतनी बड़ी संख्या में अभिलेख-सत्यापन की चुनौती भी बढ़ती है।
3.	जारी की गई राशि	तेईसवीं किश्त में 18,880 करोड़ से अधिक राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी गई।	इससे यह स्पष्ट होता है कि भुगतान-प्रणाली में तकनीकी त्रुटि होने पर बड़ी संख्या में किसान प्रभावित हो सकते हैं।
4.	महिला लाभार्थी	तेईसवीं किश्त में 2.18 करोड़ से अधिक महिला किसानों को लाभ मिला।	इससे महिला किसानों की भागीदारी और लाभ-निरंतरता में लिंग-आधारित अध्ययन की संभावना स्पष्ट होती है।
5.	अब तक कुल वितरित राशि	योजना की शुरुआत से जून 2026 तक 4.46 लाख करोड़ से अधिक राशि वितरित की जा चुकी है।	इससे योजना की आर्थिक महत्ता सिद्ध होती है और यह प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है कि पात्र किसान लाभ से वंचित न रहें।

6.	वार्षिक सहायता राशि	पात्र किसान परिवार को प्रति वर्ष 6000 की सहायता तीन समान किश्तों में दी जाती है।	छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए प्रत्येक 2000 की किश्त कृषि मौसम में बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई हेतु उपयोगी हो सकती है।
7.	अनिवार्य सत्यापन शर्तें	भूमि-अभिलेख संयोजन, आधार-आधारित भुगतान और ई-केवाईसी को अनिवार्य किया गया है।	यही तीनों शर्तें इस अध्ययन की मुख्य समस्या हैं, क्योंकि इनके अधूरे रहने पर किश्त रुक सकती है।
8.	अधूरी शर्तों का प्रभाव	जिन किसानों ने अनिवार्य शर्तें पूरी नहीं कीं, उनके लाभ रोके गए; शर्तें पूरी होने पर लंबित किश्तें जारी की जाती हैं।	इससे लाभ-निरंतरता टूटने का प्रत्यक्ष आधार मिलता है और शोध का औचित्य मजबूत होता है।
9.	ऑकड़ा-असंगति की प्रक्रिया	किसी त्रुटि की स्थिति में अभिलेख सुधार के लिए राज्य या केंद्रशासित प्रदेश को वापस भेजा जाता है।	इससे स्पष्ट होता है कि किसान की समस्या केवल बैंक या आधार तक सीमित नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुधार-प्रक्रिया से भी जुड़ी है।
10.	योजना का कृषि उद्देश्य	योजना का उद्देश्य छोटे एवं सीमांत किसानों की आय-सुरक्षा और कृषि-आदानों के लिए वित्तीय सहायता देना है।	यदि किश्त देर से आती है, तो कृषि-निवेश निर्णयों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अत्यंत व्यापक किसान-आय सहायता योजना है, परंतु इसकी प्रभावशीलता लाभ की नियमितता पर निर्भर करती है। तेईसवीं किश्त में 9.44 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलना योजना की व्यापक पहुंच को दर्शाता है, वहीं भूमि-अभिलेख संयोजन, आधार-आधारित भुगतान और ई-केवाईसी की अनिवार्यता यह बताती है कि तकनीकी या अभिलेखीय त्रुटि होने पर पात्र किसान भी अस्थायी रूप से लाभ से वंचित हो सकते हैं। छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए 2000 की प्रत्येक किश्त कृषि मौसम में बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई जैसे खर्चों में सहायक हो सकती है। इसलिए किश्त रुकना या देर से मिलना केवल प्रशासनिक समस्या नहीं, बल्कि कृषि-निवेश, ऋण-निर्भरता और उत्पादन-जोखिम से जुड़ी गंभीर समस्या है। जून 2026 में तेईसवीं किश्त में 9.44 करोड़ किसानों को लगभग 18,880 करोड़ भेजे गए, जिनमें 2.18 करोड़ महिलाएँ शामिल थीं। योजना की शुरुआत से अब तक 4.46 लाख करोड़ से अधिक की सहायता दी जा चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों तक पहुँचने के लिए किसान पहचान, आधार प्रमाणीकरण, बैंक सत्यापन और भूमि अभिलेख की शुद्धता अत्यंत आवश्यक हो जाती है। परंतु यही शुद्धता-आधारित व्यवस्था छोटे किसानों के लिए बाधा भी बन सकती है। मंत्रालय ने बताया है कि भुगतान से पहले राज्य सरकारें पात्रता सत्यापित करती हैं, आधार और बैंक विवरण जाँचे जाते हैं, फिर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से खाता सत्यापन होता है और भुगतान आदेश आगे बढ़ता है। यदि किसी भी चरण में नाम, खाता, आधार, भूमि या पात्रता संबंधी गलती मिलती है, तो भुगतान रुक सकता है। इसका अर्थ है कि लाभ-निरंतरता अब केवल पात्रता पर निर्भर नहीं है, बल्कि अभिलेखीय शुद्धता पर भी निर्भर है। इलेक्ट्रॉनिक ग्राहक-पहचान से जुड़ी बाधाएँ प्रायः चलदूरभाष संख्या बदलने, आधार से जुड़ी संख्या निष्क्रिय होने, अंगुली-छाप न मिलने, आयु अधिक होने पर जैविक प्रमाणीकरण कठिन होने, या किसान को प्रक्रिया की जानकारी न होने से उत्पन्न होती हैं। जिन किसानों को सामान्य सेवा केंद्र तक जाने के लिए दूरी तय करनी पड़ती है, उनके लिए समय और यात्रा-व्यय भी अतिरिक्त बोझ बनते हैं। आधार-बैंक संयोजन की बाधाएँ और अधिक जटिल हैं। सरकारी सूचना के अनुसार असफल भुगतान के प्रमुख कारणों में बैंक द्वारा आधार संख्या का भुगतान मानचित्र से हटना, बैंक खाते से आधार का न जुड़ना और खाता बंद होना शामिल हैं। इसका असर उन किसानों पर अधिक होता है जिनके पास एक से अधिक बैंक खाते हैं, जिन्होंने खाता बदला है, जिनका पुराना खाता निष्क्रिय हो गया है, या जिनके बैंक का विलय हुआ है। अगस्त 2025 में बैंकों को ऐसे असफल भुगतान घटाने और लाभार्थियों को सुधार में सहयोग देने के निर्देश दिए जाने की सूचना दी गई। भूमि-अभिलेख असंगति तीसरी महत्वपूर्ण बाधा है। छोटे और सीमांत किसानों में भूमि प्रायः पैतृक, संयुक्त, बंटी हुई या मौखिक व्यवस्था के आधार पर उपयोग में होती है। कई बार खेती करने वाला व्यक्ति अभिलेख में दर्ज स्वामी नहीं होता। उत्तराधिकार या परिवार-विभाजन के बाद नामांतरण देर से होता है। ऐसी स्थिति में वास्तविक कृषक योजना की तकनीकी पात्रता में अटक सकता है। जुलाई 2026 में प्याज उत्पादक किसानों द्वारा उठाया गया मुद्दा इसी समस्या की ओर संकेत करता है कि भूमि अभिलेख में नाम दर्ज होने की तिथि के कारण वास्तविक खेती करने वाले किसान सहायता से वंचित हो सकते हैं।

दूसरे उद्देश्य के संदर्भ में, लाभ-रुकावट का कृषि-निवेश पर असर समझना आवश्यक है। पहले के अध्ययन बताते हैं कि जब किश्त कृषि मौसम के चरम समय पर मिली, तब उसका बड़ा हिस्सा कृषि कार्यों पर खर्च हुआ। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि उसी समय किश्त रुक जाए, तो बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई पर तत्काल प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए खरीफ बुवाई से पहले 2000 की राशि छोटे किसान के लिए प्रमाणित बीज, यूरिया, डीएपी, कीटनाशक या पहली सिंचाई का आंशिक खर्च पूरा कर सकती है। यदि राशि देर से आए, तो किसान कम गुणवत्ता का बीज खरीद सकता है, खाद की मात्रा घटा सकता है या सिंचाई की तिथि आगे बढ़ा सकता है। तीसरे उद्देश्य के अंतर्गत प्रभावित किसानों के समायोजन उपाय महत्वपूर्ण हैं। ऐसे किसान पहले परिवार या पड़ोसी से उधार लेते हैं। यदि वहाँ से सहायता नहीं मिलती, तो वे दुकानदार से उधार पर बीज या खाद लेते हैं। कई बार कृषि-आदान विक्रेता उधार माल देता है पर नकद खरीद की तुलना में अधिक दाम लेता है। साहूकार से ऋण लेने पर व्याज दर अधिक हो सकती है, जिससे 2000 की किश्त रुकने का प्रभाव बाद में कहीं बड़ा वित्तीय बोझ बन जाता है। कुछ किसान सामान्य सेवा केंद्र, पंचायत, बैंक मित्र या कृषि विभाग कार्यालय के कई चक्कर लगाते हैं। इससे मजदूरी-दिनों की हानि, यात्रा-व्यय और मानसिक तनाव भी बढ़ता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लाभ में देरी केवल नकदी की कमी नहीं बनाती, बल्कि निर्णय की अनिश्चितता भी पैदा करती है। किसान को पता नहीं होता कि किश्त कब आएगी और त्रुटि कब सुधरेगी। इस अनिश्चितता के कारण वह कृषि निवेश को सुरक्षित और कम खर्चीले विकल्पों की ओर मोड़ता है। परिणामस्वरूप पैदावार, फसल-स्वास्थ्य और जोखिम लेने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

निष्कर्ष

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए महत्वपूर्ण आय-सहायता योजना है, परंतु इसकी प्रभावशीलता केवल राशि के प्रावधान पर नहीं, बल्कि लाभ की निरंतरता पर निर्भर करती है। नवीनतम आँकड़े बताते हैं कि योजना का विस्तार बहुत बड़ा है और करोड़ों किसानों को सहायता मिल रही है। फिर भी इलेक्ट्रॉनिक ग्राहक-पहचान, आधार-बैंक संयोजन और भूमि-अभिलेख असंगति के कारण कुछ पात्र किसानों की किश्त रुकने या देर से आने की समस्या बनी हुई है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए 2000 की किश्त कृषि मौसम में महत्वपूर्ण नकदी-स्रोत है। यदि यह समय पर मिलती है, तो बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई जैसे खर्चों में सहायक होती है। यदि यह रुकती है, तो किसान उधार, साहूकार, दुकानदार ऋण, पंचायत-सहायता या कृषि-खर्च कटौती जैसे उपाय अपनाने को बाध्य हो सकता है। इसलिए लाभ-रुकावट का प्रभाव केवल प्रशासनिक विलंब नहीं है; यह कृषि निवेश, लागत, ऋण-निर्भरता और उत्पादन-जोखिम से जुड़ा प्रश्न है।

सुझाव

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत में किश्त जारी होने से पहले "लाभ-निरंतरता जाँच शिविर" लगाया जाना चाहिए, जिसमें किसान अपनी इलेक्ट्रॉनिक ग्राहक-पहचान, आधार-बैंक संयोजन और भूमि-सत्यापन स्थिति एक ही स्थान पर देख सके।
2. बैंक, सामान्य सेवा केंद्र, पंचायत और कृषि विभाग के बीच संयुक्त सुधार-प्रणाली बननी चाहिए, ताकि किसान को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
3. आधार या बैंक त्रुटि वाले किसानों की सूची ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए, परंतु निजी जानकारी की सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए।
4. भूमि-अभिलेख त्रुटियों के लिए विशेष नामांतरण और उत्तराधिकार सुधार अभियान चलाया जाना चाहिए, विशेषकर उन परिवारों में जहाँ पिता की मृत्यु, पारिवारिक बंटवारा या संयुक्त स्वामित्व के कारण लाभ रुक रहा है।
5. जिन किसानों की किश्त तकनीकी कारणों से रुकी हो और बाद में पात्रता सिद्ध हो जाए, उन्हें अगली किश्त के साथ लंबित राशि समय पर दी जानी चाहिए।
6. सामान्य सेवा केंद्रों पर शुल्क और प्रक्रिया की स्पष्ट सूचना प्रदर्शित की जानी चाहिए, ताकि किसानों से अनावश्यक भुगतान न लिया जाए।

अध्ययन की सीमाएँ

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़ी समस्याएँ राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर भिन्न हो सकती हैं। इसलिए किसी एक क्षेत्र से प्राप्त निष्कर्षों को पूरे देश पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता।
2. कई किसान अपनी किश्त रुकने का वास्तविक कारण स्पष्ट रूप से नहीं जानते। कुछ किसान इसे बैंक की समस्या मानते हैं, कुछ आधार की, कुछ भूमि-अभिलेख की और कुछ पोर्टल त्रुटि की। इस कारण उत्तरों में भ्रम की संभावना बनी रहती है।
3. कृषि-निवेश पर प्रभाव मापते समय किसान की अन्य आय, पूर्व बचत, पारिवारिक सहायता, फसल का प्रकार, स्थानीय ऋण-सुविधा और बाजार मूल्य जैसे कारक भी प्रभाव डालते हैं। इसलिए केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किश्त-देरी को अकेला कारण मानना उचित नहीं होगा।
4. 2000 की किश्त का प्रभाव हर किसान पर समान नहीं होता। बहुत छोटे किसान के लिए यह राशि अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है, जबकि अपेक्षाकृत बड़े किसान के लिए इसका प्रभाव सीमित हो सकता है।
5. अध्ययन में कई तथ्य किसानों की स्मृति और उनके कथनों पर आधारित हो सकते हैं। यदि किसान को किश्त मिलने की सही तिथि, खर्च की मात्रा या उधार की शर्तें याद न हों, तो आँकड़ों में आंशिक अंतर आ सकता है।
6. योजना की तकनीकी प्रक्रियाएँ समय-समय पर बदलती रहती हैं। इसलिए आज जिन कारणों से किश्त रुक रही है, भविष्य में नीति-सुधार या पोर्टल-सुधार के बाद उनमें परिवर्तन हो सकता है।

भावी शोध-सिफारिशें

1. भविष्य में इस विषय पर राज्यवार तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, ताकि यह पता चल सके कि किस राज्य में भूमि-अभिलेख असंगति, आधार-बैंक संयोजन या इलेक्ट्रॉनिक ग्राहक-पहचान में कौन-सी समस्या अधिक गंभीर है।
2. महिला किसानों, पट्टेदार किसानों और उत्तराधिकार से भूमि पाने वाले किसानों पर अलग अध्ययन किया जाना चाहिए।
3. किश्त-देरी और फसल-उत्पादकता के बीच सांख्यिकीय संबंध की जाँच की जानी चाहिए। शिकायत-निवारण में सामान्य सेवा केंद्र, पंचायत, बैंक मित्र और किसान मित्र की वास्तविक भूमिका का मूल्यांकन आवश्यक है।
4. अंकीय कृषि ढाँचे के विस्तार के साथ यह अध्ययन भी जरूरी है कि अधिक सत्यापन से अपात्र किसानों को हटाने में मदद मिलती है या वास्तविक छोटे किसानों की कठिनाई बढ़ती है।

संदर्भ-सूची

1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, अगस्त 2025, "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हेतु आधार-संयोजन", पत्र सूचना कार्यालय।
2. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, जून 2026, "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तेईसवीं किश्त", पत्र सूचना कार्यालय।
3. पत्र सूचना कार्यालय, जून 2026, "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि: आय-सुरक्षा और किसान सहायता।"
4. जोशी, पी. के.; वर्मन, दीपक; कुमार, अंजनी; रॉय, देवेश, 2020, "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बहुगुणक प्रभाव पर अध्ययन", अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान।
5. द इकोनॉमिक टाइम्स, अगस्त 2025, "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में असफल लेन-देन सुधारने हेतु बैंकों को निर्देश।"
6. द टाइम्स ऑफ इंडिया, मार्च 2026, "उत्तर प्रदेश में अंकीय फसल सर्वेक्षण और किसान सत्यापन।"
7. द इकोनॉमिक टाइम्स, मार्च 2026, "बाईसवीं किश्त में लाभार्थी संख्या और पात्रता सत्यापन।"
8. द टाइम्स ऑफ इंडिया, जुलाई 2026 "वर्ष 2018 के बाद भूमि प्राप्त करने वाले किसानों को योजना में शामिल करने की माँग।"